पत्रांक :-3/यो01-29/2023 (उ0शि0) 724 ..../

झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
(उच्च शिक्षा प्रभाग)

आंतरिक वित्तीय सलाहकार से परामर्शित

प्रेषक,

जार्ज कुमार,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
पो0-हिनू, झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक 20/06/2024

विषयः- **वित्तीय वर्ष 2024-25 में डॉ0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय, राँची के पुस्तकालय हेतु पुस्तकों के कय के निमित रू0 1,30,00,000/- (एक करोड़ तीस लाख रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।**

प्रसंगः- **डॉ0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय, राँची का पत्रांक DSPUM/G/136/24 दिनांक 05.03.2024**

आदेश- स्वीकृत ।

राज्य में उच्च शिक्षा के गुणात्मक सुधार तथा विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के छात्र-छात्राओं को पुस्तकालय एवं आधारभूत सुविधा उपलबध कराने के उद्देश्य से राज्य स्कीम बजट से विश्वविद्यालयों को सहायता अनुदान के रूप में राशि स्वीकृत की जाती है।

2. वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य स्कीम बजट के अन्तर्गत उपशीर्ष-BP- उच्च शिक्षण संस्थानों के आधारभूत संरचना का विकास, आधुनिकीकरण एवं सुसज्जीकरण हेतु सहायता अनुदान लघुशीर्ष -102-विश्वविद्यालयों को सहायता मद में 200.00 करोड़ (दो सौ करोड़ रूपये) मात्र एवं लघुशीर्ष -796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, मद में 140.00 करोड़ (एक सौ चालीस करोड़ रूपये) मात्र अर्थात कुल रू0 340.00 करोड़ का बजट उपबंध है।

3. वित्तीय वर्ष 2024-25 में डॉ0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय, राँची के पुस्तकालय हेतु पुस्तकों के कय के निमित रू0 1,30,00,000/- (एक करोड़ तीस लाख रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

4. उपर्युक्त स्वीकृत राशि का विकलन राशि का विकलन वित्तीय वर्ष 2024-25 के राज्य स्कीम बजट के निम्नांकित शीर्ष-"मुख्यशीर्ष-2202 सामान्य शिक्षा, 03-विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा, लघु शीर्ष-796-जनजातिय क्षेत्र उपयोजना, उप शीर्ष- BP- उच्च शिक्षण संस्थानों के आधारभूत संरचना का विकास, आधुनिकीकरण एवं सुसज्जीकरण हेतु सहायता अनुदान , 01- उच्च शिक्षण संस्थानों के आधारभूत संरचना का विकास, आधुनिकीकरण एवं सुसज्जीकरण हेतु सहायता अनुदान, विस्तृत शीर्ष-06 अनुदान,78-पूँजी परिसम्पति के सृजन हेतु अनुदान (विपत्र कोड- 21S220203796BP010678) (स्कीम कोड-2104) के अंतर्गत होगा।

5. मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड की अधिसूचना संख्या-1269 दिनांक 21.09.2023 के आलोक में यह स्वीकृत्यादेश प्रदत्त शक्ति के अधीन है।

6. इस मद में विगत वित्तीय वर्ष के पूर्व वर्ष में निकासी की गयी राशि की विवरणी-

स्वीकृत्यादेश संख्या एवं तिथि	निकासी की गई राशि	प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र की राशि
-	शून्य	शून्य

7. वित विभाग के संकल्प ज्ञापांक 759 दिनांक 20.03.2015 के अनुसार राशि की निकासी हेतु प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

8. स्वीकृत राशि की निकासी के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव, उच्च शिक्षा निदेशालय, झारखण्ड, रॉची होंगे, जो सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, रॉची से राशि की निकासी कर Book Transfer, बैंक ड्राफ्ट अथवा योजना-सह-वित्त विभाग द्वारा निर्गत किये गये प्रासंगिक आदेश में विहित माध्यम द्वारा डॉ0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय, राँची के कुलसचिव को राशि उपलब्ध करायेंगे एवं कुलसचिव उक्त बैंक ड्राफ्ट को चालान के माध्यम से विश्वविद्यालय के लिए संचालित पी0 एल0 खाता संख्या-8448 में जमा करायेंगे।

9. डॉ0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय, राँची के कुलसचिव द्वारा वित्त विभाग के सुसंगत आदेश एवं परिपत्रों तथा झारखण्ड कोषागार संहिता-2016 के नियम- 339-344 के तहत पी0 एल0 खाता संख्या-8448 से राशि की निकासी की जायेगी।

10. राशि की विमुक्ति निम्न शर्त्तों के अधीन की जायेगी–

(क) सामग्री/उपस्करों का क्रय खुली निविदा/ई–टेन्डर/GeM के माध्यम से किया जायेगा। GeM के संबंध में योजना एवं वित्त विभाग के संकल्प 2504/वि0 दिनांक–24.07.2017 पत्रांक 1058/वि0 दिनांक 05.08.2018, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक–No-F.1/26/2018-PPD दिनांक 02.04.2019 एवं वित्त विभाग के द्वारा समय–समय पर निर्गत अद्यतन संकल्प/परिपत्र के आलोक में किया जायेगा।

(ख) विमुक्त राशि का विचलन किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जायेगा।

(ग) झारखण्ड वित्त नियमावली के नियम 343 का दृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(घ) सामग्रियों के क्रय एवं अधिष्ठापन में मितव्ययिता बरती जायेगी।

11. उक्त योजना का अनुश्रवण कुलपति, डॉ0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय, राँची के द्वारा किया जायेगा तथा प्रतिवेदन उच्च शिक्षा निदेशालय को उपलब्ध कराया जायेगा। साथ ही समय–समय पर निदेशक, उच्च शिक्षा के द्वारा भी गहण समीक्षा करते हुए अनुश्रवण किया जायेगा।

12. व्यय उपरान्त स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार झारखण्ड एवं विभाग को ससमय उपलब्ध कराया जाय।

13. महालेखाकार का कार्यालय, अंकेक्षण/वित्त (अंकेक्षण) विभाग को विमुक्त एवं निकासी की गई राशि के अंकेक्षण का अधिकार होगा।

14. प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

15. प्रस्ताव पर विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

16. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

17. स्वीकृत राशि की निकासी हेतु तैयार विपत्र पर निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किया जायेगा।

विश्वासभाजन,

19/6/24

(जार्ज कुमार)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक– 3/यो01–29/2023 (उ0शि0) 72/बि4 /राँची, दिनांक–20/06/2024

प्रतिलिपि –कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

19/6/24

(जार्ज कुमार)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक– 3/यो01–29/2023 (उ0शि0) 72/बि4 /राँची, दिनांक–20/06/2024

प्रतिलिपि –प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक, उच्च शिक्षा के प्रधान आप्त सचिव/कुलसचिव, डॉ0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय, राँची/अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी(उच्च शिक्षा)/लेखा शाखा, उच्च शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित तथा नोडल पदाधिकारी को विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

19/6/24

(जार्ज कुमार)

सरकार के संयुक्त सचिव।